न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती

सत्र वाद संख्या–298/2025

राज्य बनाम शहरे आलम

दिनांक–07–07–2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकारा गया। अभियुक्त शहरे आलम अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) उपस्थित है।

प्रार्थना पत्र बी–35 पर उभय पक्ष को पूर्व में ही सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) की ओर से प्रार्थना पत्र बी–35 अन्तर्गत धारा–358 बी०एन०एस०एस० इस आशय से दिया गया है कि प्रश्नगत मुकदमा साक्ष्य हेतु नियत है। पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात हुआ कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडिता को विपक्षी के साथ भगवाने में वपिक्षी गम्मा यादव पुत्र प्रधाने का सहयोग था। विचारण के दौरान साक्षी पी०डब्लू०–1 मंगेश कुमार शर्मा, पी०डब्लू०–2 पीडिता व पी०डब्लू०–3 नीलम शर्मा के बयान में गम्मा यादव की संलिप्ता है। विवेचक द्वारा अभियुक्त का नाम सूची से निकाल दिया गया था। न्यायालय पर आये साक्ष्य से गम्मा यादव की सहभागिता प्रदर्शित है। अतः विपक्षी गम्मे यादव को अन्तर्गत धारा–358 बी०एन०एस०एस० अभियुक्त के रूप में तलब किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचक गंगेश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र बी–36 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत मुकदमें में प्रथम सूचक है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचक का बयान/जिरह भी हो चुका है, लेकिन विशेष लोक अभियोजक द्वारा मात्र पत्रावली को लम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–358 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर दिया है। अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि वादी ने उनके विरूद्ध शिकायत पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय व डी०जी०सी० क्रिमिनल को भी अधिवक्ता बदलने का प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रखा है। अभियुक्त व उसके परिजन लगातार सुलह हेतु दबाव बना रहे हैं तथा ऐलानियां कह रहे है कि सुलह कर लो नहीं तो उन्होंने सरकारी वकील मैंनेज कर लिया है। अतः विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मुकदमा वर्तमान में साक्ष्य हेतु नियत है। चिक एफ०आई०आर० में कथित विपक्षी गम्मा यादव पर मुख्य अभियुक्त शहरे आलम द्वारा पीडिता को भगाने में सहयोग

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.07.07 16:05:08 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

करने का आरोप है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० में कथित विपक्षी गम्मा यादव के विरूद्ध कोई बयान नहीं दिया है। विवेचक ने दौरान विवेचना सी०डी० के पर्चा नं०–10 में स्वतंत्र साक्षी पप्पू, राजेन्द्र प्रसाद, सहजराम का बयान अंकित किया था, जिसमें स्वतंत्र साक्षीगण ने घटना में कथित विपक्षी गम्मा यादव की संलिप्पता से इन्कार किया है। विवेचक द्वारा उक्त पर्चे में ही वादी का मजीद बयान अंकित किया गया है, जिसमें वादी ने कथन किया है कि उसने कथित विपक्षी गम्मा यादव का नाम एफ०आई०आर० में अभियुक्त शहरे आलम का दोस्त होने के आधार पर लिखा दिया था और बरामद होने पर लड़की ने घटना में कथित विपक्षी गम्मा यादव की सहभागिता होने से इन्कार किया था।

न्यायालय में वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 ने जिरह में कथन किया है कि उसने गम्मा यादव का नाम तहरीर में भगाने में लिखवाया था। उसकी गम्मा से पुरानी रंजिश नहीं है, शक के आधार पर गम्मा का नाम लिखाया था। पी०डब्लू०–2 पीडिता ने अपने बयान में बताया है कि गम्मे और शहरे आलम उसे मोटरसाइकिल से लेकर भिनगा आये। पीडिता ने अपने बयान में कथित विपक्षी गम्मा यादव के सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ भूमिका नहीं बतायी है।

वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर यह कथन किया गया है कि राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुकदमें को विलम्बित करने हेतु दिया गया है और अभियुक्त शहरे आलम द्वारा सुलह हेतु दबाव बनाने का कथन किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियुक्त शहरे आलम को बचाने के लिए दिया जाना बताया है।

8– धारा–358 बी०एन०एस०एस० (पुरानी धारा–319 दं०प्र०सं०) के सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या–1750/2008 निर्णय दिनांकित–10–01–2014** के मामले में विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश जारी किये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "The difference in the degree of satisfaction for summoning the original accused and a subsequent accused is on account of the fact that the trial may have already commenced against the original accused and it is in the course of against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial–therefore the degree of satisfaction for summoning the accused (original and subsequent) has to be different."

9– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि धारा–358 बी०एन०एस०एस० (पुरानी धारा–319 दं०प्र०सं०) के स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य की संतुष्टि की डिग्री आरोप के स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य से अधिक होनी चाहिए और साक्ष्य इस

स्तर का हो जो अभियुक्त के मामले को लगभग दोषसिद्धि की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता हो।

उपरोक्त विधि व्यवस्था के सापेक्ष प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संतोषजनक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्तावित मुल्जिम गम्मा यादव के विरूद्ध ऐसा ठोस साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर उनको लगभग दोषसिद्धि की तरफ पहुँचाता हो। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–358 बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–35 अन्तर्गत धारा–358 बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक–15–07–2026 को पेश हो। आरोप पत्र से साक्षी सम्मन हो।

दिनांक–07–07–2026

(सौरभ सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।